**जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर की अध्यक्षता में दिनांकः 27.08.2022 को संपन्न जल जीवन मिशन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति–**

दिनांकः 27.08.2022 को जनपद जौनपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के कार्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक में निम्न की उपस्थिति रही।

1. जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर।
2. जिला विकास अधिकारी महोदय, जौनपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), जौनपुर।
4. मे0 एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रतिनिधि।
5. मे0 वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे0वी0) के प्रतिनिधि।

बैठक की कार्यवृत्ति का विवरण निम्नानुसार है–

1. शासन द्वारा गठित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) समिति जनपद जौनपुर के अन्तर्गत जल जीवन मिशन "हर घर जल"कार्यक्रम हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा चयनित कार्यदायी संस्था M/s AFCONS INFRASTRUCTURE LIMITED Afcons House, 16 Shah Industrials Estate, Veera Desai Road, Azad Nagar, P.O Box No. 11978, Andheri (W) Mumbai-400053 द्वारा 46 नग ग्राम पंचायत पेयजल योजनाओं का डी0पी0आर0 प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत पेयजल योजनाओं के डी0पी0आर0 पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी। संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त डी0पी0आर0 स्वीकृति हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने हेतु निर्देश दिया गया।
2. जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल जीवन मिशन फेज–3 कार्यक्रम के अन्तर्गत डी0पी0आर0 विरचन की स्थिति पूछे जाने पर मे0 एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर के उपस्थित प्रतिनिधि द्वार अवगत कराया गया कि 229 नग डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की स्वीकृति के उपरान्त राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति, लखनऊ को प्रेषित कर दिया गया है, जिसके सापेक्ष 138 नग डी0पी0आर0 पर एस.एल.एस.एस.सी.द्वारा स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्वीकृत डी0पी0आर0 के सापेक्ष शत्–प्रतिशत योजनाओं पर कार्य तुरन्त प्रारम्भ करने हेतु एवं अन्य अवशेष डी0पी0आर0 यथाशीघ्र तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया।
3. जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्वीकृत योजनाओं पर यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया।
4. मे0 एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान तक 2000 राजस्व ग्राम जो 1059 ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत सम्मिलित हैं, के लिए भूमि की उपलब्धता प्राप्त कर ली गयी है।
5. जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि SLSSC द्वारा दिये गये नवीनतम् दिशा–निर्देश के अनुसार DPR तैयार किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे SLSSC की बैठक में DPR Non Compliant श्रेणी में वर्गीकृत न किया जाये।
6. जिलाधिकारी महोदय द्वारा मे0 वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे0वी0) को FHTC की फीडिंग सम्बन्धित कार्य को गंभीरतापूर्वक लेते हुए प्रगति यथासंभव तीव्र कर न्यूनतम 500 नग गृह संयोजन प्रतिदिन करने हेतु निर्देशित किया गया।
7. जिलाधिकारी महोदय द्वारा चयनित कार्यदायी संस्था को भूमि उपलब्धता के सापेक्ष शत्प्रतिशत ग्राम पंचायतों का सर्वे कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।
8. जिलाधिकारी महोदय द्वारा चयनित कार्यदायी संस्था को सर्वे टीमें बढ़ाकर अधिकतम डी0पी0आर0 तैयार कर जल जीवन मिशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया।
9. जिलाधिकारी महोदय द्वारा चयनित कार्यदायी संस्था को तैयार डी0पी0आर0 जल जीवन पोर्टल पर अपलोड कर हार्ड कापी कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), जौनपुर में तकनीकी परीक्षण हेतु प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

(साई तेजा सीलम)
मुख्य विकास अधिकारी
जौनपुर

**अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,**
**उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), जौनपुर**

पत्रांकः 898 / ज0नि0प्रा0 / ,156 दिनांकः 27/08/2022

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।
1. जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर।
2. जिला विकास अधिकारी महोदय, जौनपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), जौनपुर।
4. मे0 एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, मुम्बई।
5. मे0 वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे0वी0)

मुख्य विकास अधिकारी
जौनपुर

Scanned with CamScanner

9. जिलाधिकारी महोदय द्वारा चयनित कार्यदायी संस्था को तैयार डी0पी0आर0 जल जीवन पोर्टल पर अपलोड कर हार्डकापी कार्यालय अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) जौनपुर में तकनीकी परीक्षण हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
10. योजनान्तर्गत नामित डी0पी0एम0यू0 (डिस्ट्रीक प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट) को यह निर्देश दिया गया कि कराये जा रहे कार्यों की मानीटरिंग हेतु संबंधित कार्यदायी संस्थाओं व जल निगम के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुये कार्यो के संबंध में अपनी रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेंगें।
11. जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो की गुणवत्ता की जॉच हेतु नामित संस्था (टी0पी0आई0ए0) Medhaj को यह निर्देश दिया गया कि वे कार्यदायी विभाग द्वारा मौके पर कराये जा रहे कार्यो की गुणवत्ता की जॉच कर उसमें पायी जाने वाली कमियों के संबंध में अधिशासी अभियंता जल निगम को अनुपालन कराने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगें तथा अधिशासी अभियंता जल निगम मेधाज़ द्वारा उल्लिखित की गयी कमियों का निराकरण कराकर अनुपालन से मुख्य विकास अधिकारी महोदय को अवगत करायेंगें।
12. इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के व्यापक प्रचार–प्रसार एवं जनजागरुकता अभियान हेतु जनपद. में नामित आई0एस0ए0 संस्थाओं द्वारा बैठक एवं गोष्ठी आयोजित कराकर कार्यक्रम के संबंध में रिपोर्ट अधिशासी अभियंता जल निगम एवं मुख्य विकास अधिकारी को अनिवार्य रुप से प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।
13. योजनान्तर्गत जनपद के समस्त ग्राम पंचायत/क्षेत्रों में जल की गुणवत्ता की जॉच एवं मानीटरिंग हेतु नामित उद्यमिता विकास संस्थान (आई0डी0ई0पी0) को यह निर्देशित किया गया कि वे ग्राम पंचायतों में स्थित पेयजल स्त्रोत की जल गुणवत्ता जॉच कर निर्धारित जॉच प्रारुप पर रिपोर्ट जिला नोडल अधिकारी/जिला विकास अधिकारी को उपलब्ध करायेंगें। साथ ही उनसे समन्वय स्थापित कर समयबद्ध तरीके से जॉच रिपोर्ट प्रदेश सरकार व भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज/अपलोड करायेंगें तथा जल गुणवत्ता की जॉच हेतु ग्राम पंचायतों/विकास खण्डों के लिये किट की आपूर्ति भी अधिशासी अभियंता जल निगम एवं जिला विकास अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुये उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें, इसके अतिरिक्त दूषित पाये गये जल के उचित रोकथाम के लिये नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर उक्त कार्य को भी पूर्ण करायेंगें। मेधाज द्वारा 77 ग्रामों में चल रहे कार्यों की जॉच कर उल्लिखित कमी/अनियमितता के सम्बन्ध मे रिपोर्ट दी गयी है किन्तु अभी तक वेलस्पन एवं एफकान्स एजेन्सी द्वारा उल्लिखित अनियमितता एवं कमियों के सम्बन्ध में अनुपालन नही किया जा रहा है और न ही जल निगम द्वारा अनुपालन हेतु कार्यवाही करायी जा रही है, जो खेदजनक है। जिला विकास अधिकारी जौनपुर को निर्देशित किया गया कि मेधाज द्वारा उल्लिखित कमी/अनियमितता के सम्बन्ध में समीक्षा कर अनुपालन की कार्यवाही सुनिश्चित कराकर प्रगति से मुख्य विकास अधिकारी को अवगत करायें।
14. योजनान्तर्गत वेलस्पन एवं एफकान्स एजेन्सी द्वारा अत्यन्त धीमी गति से कार्य कराया जा रहा है, कार्य की प्रगति असन्तोषजनक है, इसमें और अधिक तेजी लाये जाने की आवश्यकता है। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को यह निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष जिन प्रोजेक्टों की स्वीकृति राज्य पेयजल से प्राप्त हो गयी है, उसमें 03 दिन के भीतर कार्य प्रारम्भ कराये तथा इन संस्थाओं को प्रतिदिन 2000 कनेक्शन करायें। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्येक सप्ताह सोमवार एवं शुक्रवार को पूर्वान्ह 10 बजे नामित निर्माण एजेन्सी द्वारा कराये गये कार्यों की समीक्षा स्वंय करें, जिसमें जिला विकास अधिकारी, जल निगम के अधिशासी अभियन्ता, कार्यदायी निर्माण एजेन्सी, एफकान्स, डी0पी0एम0यू0, मेधाज, कृषक विकास समिति (आई0डी0ई0पी0) के प्रतिनिधि उपस्थिति रहेंगे। अधिशासी अभियन्ता, जलनिगम ग्रामीण समस्त प्रतिनिधिगण को सम्बन्धित सूचनाओं/अनुपालन आख्या के साथ बैठक में समय से उपस्थित रहने की सूचना अपने स्तर से प्रेषित करेंगे।

Scanned with CamScanner

15. मुख्य विकास अधिकारी योजनान्तर्गत कार्य में प्रगति न होने पर सम्बन्धित कार्यदायी विभाग एवं अन्य नामित एजेन्सियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन को पत्र प्रेषित करायें।

उपरोक्त बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश के साथ बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(साई तेजा सीलम)
मुख्य विकास अधिकारी
जौनपुर।

## कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), जौनपुर।

पत्रांक– 172 /जलजीवन मिशन/163 बैठक/कार्यवृत्त /2022 दिनांक– 01-09- ~~अगस्त~~ 2022

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1 जिलाधिकारी जौनपुर को अवलोकनार्थ प्रेषित

2 जिला विकास अधिकारी, जौनपुर।

3 अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), जौनपुर।

4 मे0 एफकॉन्स इन्फ्रा प्रोजेक्ट (जे0वी0) एवं वेलस्पन कावेरी प्रोजेक्ट्स के प्रतिनिधि।

मुख्य विकास अधिकारी,
जौनपुर।

Scanned with CamScanner